माल एवं सेवा कर (GST) अधिनियम, 2017 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के पंजीकरण एवं इस सम्बन्ध में लागू किये गये महत्वपूर्ण प्रावधान

जैसा कि आप विदित हैं, दिनांक 01–07–2017 से माल और सेवा कर (GST) प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय माल और सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017, एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) अधिनियम, 2017 तथा उत्तराखण्ड राज्य मे उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (SGST) अधिनियम, 2017 अधिनियमित हो गये हैं। इन अधिनियमों के अन्तर्गत कराधेय वस्तुओं या सेवाओं (या दोनों) के आपूर्तिकर्ता को किये जाने वाले भुगतान में से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गये हैं। यह प्रावधान समस्त सरकारी विभागों, प्रतिष्ठानों, अभिकरणों तथा स्थानीय निकायों के आहरण वितरण अधिकारियों पर लागू होते है।

इस सम्बन्ध में किए गये महत्वपूर्ण प्राविधान इस प्रकार हैं:–

स्रोत पर कर की कटौती

1. स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधान CGST अधिनियम, 2017 व उत्तराखण्ड SGST अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा IGST अधिनियम की धारा 20 के प्रथम परन्तुक में किये गये हैं, जिनके अनुसार ऐसे भुगतानों में से जहां किसी संविदा के अधीन आपूर्ति की गयी वस्तुओं या सेवाओं (या दोनों) का कुल मूल्य (करों एवं उपकरों को छोड़ते हुए) दो लाख पचास हजार रूपये से अधिक हो, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर की कटौती की जायेगी। यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 51 के प्रावधानों को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा यह प्रावधान उस तिथि से लागू होंगे जो कि इस हेतु सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

2. राज्य के अन्तर्गत हुई कराधेय माल या सेवा की आपूर्ति पर उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 की उपधारा (1) एवं केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 की उपधारा (1) के अनुसार वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से SGST व एक प्रतिशत की दर से CGST की कटौती की जाएगी, किन्तु राज्य के बाहर से हुई माल या सेवाओं की आपूर्ति की स्थिति में कटौतीकर्ता, ऐसे अन्तर्राज्यीय आपूर्तिकर्ता को भुगतान या क्रेडिट करते समय दो प्रतिशत की दर से IGST की कटौती करेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि आपूर्तिकर्ता की अवस्थिति और आपूर्ति का स्थान का राज्य प्राप्तकर्ता के राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र, जहां प्राप्तकर्ता के द्वारा पंजीयन प्राप्त किया गया है, से भिन्न है, ऐसी दशा में आपूर्तिकर्ता से कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
3. धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति (कटौतीकर्ता) द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक– (क) कटौती की गई धनराशि को सरकार के पक्ष में विहित रीति से जमा किया जाएगा व (ख) नियम 66(1) के अनुसार प्ररूप GSTR-7 में इलैक्ट्रॉनिक विधि से मासिक विवरणी भी दाखिल करेगा। साथ ही धारा 51(3) के अनुसार

स्रोत पर कर की कटौती करने वाला व्यक्ति कटौती की गई धनराशि जमा करने के 5 दिन के भीतर कटौती की गयी धनराशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को नियम 66(1) के अनुसार दाखिल विवरणी के आधार पर निर्धारित प्रपत्र GSTR-7A पर प्रमाण पत्र इलैक्ट्रॉनिक विधि से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त प्रस्तर–3 के अनुसार आपूतिकर्ता को निर्धारित समय तक प्रमाण पत्र उपलब्ध न करवाने की स्थिति में कटौतीकर्ता प्रतिदिन 100 रूपये की दर से (अधिकतम पांच हजार रूपये) विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त धारा 51(6) के अनुसार यदि कोई कटौतीकर्ता, कटौती की गई कर की धनराशि को सरकार के पक्ष में जमा करने में असफल रहता है तो उसे काटी गयी राशि के जमा करने के अतिरिक्त धारा 50(1) के उपबन्धों के अनुरुप 18 प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा।

5. कटौतीकर्ता आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती (TDS) की धनराशि को इंटरनेंट बैकिंग, NEFT, RTGS, या अधिकृत बैंक शाखाओं में **OTC (over the counter payment)** के माध्यम से राजकोष मे जमा किया जायेगा। कटौती की धनराशि को जमा करने हेतु चालान जी0एस0टी0के पोर्टल पर प्रपत्र **GST PMT-06** में तैयार किया जायेगा, जिसमें **SGST, CGST** व **IGST** की राशि अलग–अलग अंकित की जायेंगी।

6. उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे आ0वि0 अधिकारी जो देयकों के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही सीधे कोषागार के माध्यम से करते हैं, उनके द्वारा टी0डी0एस0 कटौती की धनराशि को सम्बन्धित सरकारों के पक्ष में जमा किये जाने हेतु जो व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है, उसके अनुसार– आहरण–वितरण अधिकारी टी0डी0एस0 कटौती किए जाने योग्य देयक में से कटौती की धनराशि को छोड़ शेष धनराशि का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता के खाते में करवायेंगे तथा टी0डी0एस0 की धनराशि को कोषागार से चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त चैक/ड्राफ्ट की धनराशि को निर्धारित समय सीमा के अन्दर टी0डी0एस0 के रूप में अधिकृत बैंक शाखा में ओवर द काउन्टर (OTC) विधि से जमा करवायेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सामान्यतः OTC विधि में एक चालान के माध्यम से अधिकतम रूपये दस हजार की धनराशि जमा की जा सकती है, किन्तु सरकारी विभागों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं है।

पंजीकरण

7. GST अधिनियमों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की व्यवस्था राज्य सरकार के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों पर लागू होगी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि GST सम्बन्धी समस्त संव्यवहार (transactions) GST के कॉमन पोर्टल (www.gst.gov.in) पर होगें। अतः इस व्यवस्था में समस्त कटौतीकर्ताओं (आहरण वितरण अधिकारियों) को GST पोर्टल पर **"As Tax Deductor"** पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

8. माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 24 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस अधिनियम की धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित हो, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से पंजीकृत हो या नहीं, को इस अधिनियम के अधीन अनिवार्यतः पंजीकरण लिया जाना अपेक्षित होगा।

9. पंजीकरण हेतु वही आहरण वितरण अधिकारी पात्र होंगे, जिन्हें आयकर विभाग द्वारा निर्गत **PAN** अथवा **TAN** प्राप्त हो। पंजीकरण हेतु आवेदन **GST REG-07** प्रपत्र पर **GSTN** के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर सम्यक सत्यापन के उपरान्त उचित अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन के सापेक्ष पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जायेगी। यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण के समय दी गई सूचनाओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आवश्यक संशोधनों हेतु प्रारूप **GST REG-14** पर इलैक्ट्रानिक विधि से आवेदन किया जाएगा।

विवरणियां (Returns)

10. जैसा कि बिन्दु संख्या 3 में ऊपर उल्लिखित किया गया है **SGST** व **CGST** अधिनियमों की धारा 39(3) के अनुसार, धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति (कटौतीकर्ता) द्वारा कर कटौती किये जाने के अगले माह की 10 तारीख तक इलैक्ट्रॉनिक विधि से प्रपत्र **GSTR-7** में मासिक रिर्टन **GST** पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जायेगा। यदि मासिक रिर्टन नियत तिथि तक दाखिल नहीं किया गया तो नियत तिथि के पश्चात रू0 100/–प्रतिदिन अधिकतम रू0 5000/– तक विलम्ब शुल्क भी जमा करना होगा। कटौतीकर्ता को वार्षिक रिर्टन दाखिल करने का दायित्व नहीं है।

अपराध, शस्तियां व अपील

11. **SGST** व **CGST** अधिनियमों की धारा 122(1)(v) में प्रावधान है कि यदि कटौतीकर्ता धारा 51 की उपधारा (1) की उपबन्धों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपधारा के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस कटौती की गयी रकम को कर के रूप में संदाय **(Payment)** करने में असफल रहता है तो समतुल्य रकम या 10 हजार रूपये, जो भी अधिक हो, शास्ति के रूप में संदाय करने के लिये दायी होगा। यदि उचित अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कटौतीकर्ता के विरूद्ध कोई आदेश किया जाता है और वह आदेश से व्यथित है, तो वह इस संबंध में धारा 107 के अन्तर्गत अपील कर सकता है।

अन्य

12. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जी0एस0टी0 के पोर्टल पर पंजीयन, रिर्टन तथा नोटिसों के उत्तर आदि से संबंधित समस्त कार्य स्वंय या कमिश्नर द्वारा अधिसूचित किसी *"माल और सेवा कर व्यवसायी" (Facilitation Centre)* के माध्यम से किये जा सकते है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे विवरणों को **digital signature certificate, e-signature** अथवा आधार आधारित **electronic verification code (EVC)** प्रणाली के माध्यम से प्रमाणित करना होगा। जो आहरण वितरण अधिकारी इस प्रकार के कार्य को किसी *माल और सेवा कर व्यवसायी* के माध्यम से करवाना चाहते हों वह इस हेतु उन्हें नियत विधि से अधिकृत करेंगे। इस व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाईल किये गये अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस कटौतीकर्ता पर होगा, जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किये गये हैं।

13. **IGST** के संबंध में भी रिटर्न, कर–जमा, अर्थदण्ड, विलम्ब शुल्क आदि के प्राविधान उपरोक्तानुसार ही लागू होंगे।

14. **GST** सम्बन्धी अधिनियमों/नियमों की विस्तृत जानकारी वेबसाईट **http://comtaxappl.uk.gov.in/gstweb/** तथा **comtax.uk.gov.in** या **www.cbec.gov.in** के **GST** सम्बन्धी लिंक पर प्राप्त की जा सकती है। पंजीयन, **TDS,** रिटर्न या **GST** से सम्बन्धित किसी भी प्रावधान के संबंध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी अपने निकटतम राज्य कर के सहायक आयुक्त से संपर्क कर सकते है अथवा **Help Desk** (टोल फ्री नं0 **1800 274 2277**) की भी सहायता ले सकते है।

–: सरकारी विभागों के लिये स्रोत पर कर कटौती के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तरी :–

प्रश्न 1 – दिनांक 01 जुलाई, 2017 से लागू जी0एस0टी0 (एस0जी0एस0टी0 व सी0जी0एस0टी0 दोनो) प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी विभाग/आहरण वितरण अधिकारियों के लिए क्या प्राविधान हैं।

उत्तर – जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन (Establishment) या स्थानीय प्राधिकारी (Authority) या सभी सरकारी अभिकरणों(Agency) या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग (Category) जिसे विज्ञापित (Notify) किया जाए, द्वारा यदि किसी संविदा (Contract), जिसका मूल्य 2.50 लाख से अधिक है, के द्वारा सप्लायर को किये गये भुगतान पर टी0डी0एस0 काटकर राजकीय कोष में जमा कराना होगा। यह टी0डी0एस0 प्रान्त अन्दर से की गयी आपूर्ति पर 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 व 1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 (कुल 2 प्रतिशत) व प्रान्त बाहर से की गयी आपूर्ति पर 2 प्रतिशत आई0जी0एस0टी0 के रूप में होगी।

प्रश्न 2 – जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51(1) के यह प्राविधान सभी प्रकार की पूर्तियों पर लागू होंगे या सिर्फ कार्य संविदा पर लागू होंगे।

उत्तर – धारा 51(1) के प्राविधान में संविदा शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः यदि किसी को कर योग्य सप्लाई हेतु भी 2.50 लाख से अधिक का आदेश किया गया है तो ऐसे मामलों में भी भुगतान पर उक्तानुसार कटौती की जायेगी। अर्थात् कार्य चाहे कार्यसंविदा (Work Contract), कोई अन्य संविदा (Contract), किसी भी प्रकार माल या सेवा या दोनों की पूर्ति है, यह सभी पर लागू होगा।

प्रश्न 3 – धारा 51(1) के अन्तर्गत की गयी कटौती के सम्बन्ध में क्या आपूर्तिकर्ता/संविदाकार को कोई प्रमाण पत्र भी जारी करना है।

उत्तर – जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 (3) के अनुसार विभाग/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता/संविदाकार को कटौती किये जाने के व कटौती करने के पश्चात् राजकीय कोष में जमा करने के 5 दिन के अन्दर निर्धारित प्ररूप जी0एस0टी0आर0– 7A में प्रमाण पत्र जारी करना है। यदि उसके द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो धारा 51 (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत 100 रू0 प्रतिदिन जो अधिकतम रू0 5000 हो सकता है, विलम्ब शुल्क के रूप में जमा कराना होगा।

प्रश्न 4 – यदि किसी मामले में कटौती कर धनराशि राजकीय कोष में जमा नहीं की जाती है तो जी0एस0टी0 अधिनियम में क्या प्राविधान हैं।

उत्तर – यदि विभाग द्वारा भुगतान में से कटौती कर धनराशि राजकीय कोष में जमा नहीं करायी जाती है तो यह धनराशि विभाग से ब्याज सहित वसूली जायेगी व धारा 122 (v) के अन्तर्गत रू0 10,000 या कटौती की राशि के बराबर जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड का प्राविधान है।

प्रश्न 5 – विभाग में 01 जुलाई, 2017 से पूर्व के बिल पेंडिंग हैं, क्या 01 जुलाई, 2017 के उपरान्त भुगतान किये जाने पर उन पर भी कटौती की जायेगी।

उत्तर – 01 जुलाई, 2017 से पूर्व के बिलों पर भुगतान वैट प्रणाली के अनुसार किया जायेगा अर्थात् यदि यह भुगतान कार्य संविदा (वर्क कॉन्ट्रेक्ट) से सम्बन्धित है तो इस पर वैट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही टीडीएस काटकर राजकीय कोष में जमा किया जाना है। यदि ये बिल सिर्फ सप्लाई से सम्बन्धित हैं तो इन पर कोई कटौती नहीं की जानी है।

प्रश्न 6 – यदि किसी व्यक्ति द्वारा माल की सप्लाई न कर, सिर्फ सेवायें प्रदान की गयी हैं तो क्या उनमें भी कटौती होनी है।

उत्तर – जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत माल की सप्लाई व सेवा की सप्लाई के लिए एक ही प्राविधान है। यदि माल या सेवा या दोनों के लिये संविदा की धनराशि रू0 2.50 लाख से अधिक है तो उस सम्बन्ध में किये गये भुगतान पर जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51(1) के अन्तर्गत कटौती किया जाना अनिवार्य है।

प्रश्न 7 – पी0डब्ल्यू0डी0 जैसे विभाग में जो पुराने ठेके चल रहे हैं उनमें पूर्व में वाणिज्य कर विभाग द्वारा धारा 35 में कटौती के आदेश जारी किये गये हैं। अब उन कार्यों के लिये दिनांक 01 जुलाई, 2017 के उपरान्त प्रस्तुत बिलों पर उन आदेशों के अनुसार कटौती कर जमा किया जाना है या जी0एस0टी0 प्रणाली के अनुसार।

उत्तर – दिनांक 01 जुलाई, 2017 को जी0एस0टी0 प्रणाली लागू होने पर पूर्व के अधिनियम अर्थात् वैट अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा–35 का आदेश निष्प्रभावी हो गया है। अतः 01 जुलाई, 2017 के उपरान्त प्रस्तुत बिलों पर चाहे वो उससे पूर्व की संविदाओं एवं कार्यों से सम्बन्धित हों, के सम्बन्ध में कटौती जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी।

प्रश्न 8 – जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 के अधीन क्या माह जुलाई और अगस्त में कटौती की जानी है।

उत्तर – वर्तमान में जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 को लागू नहीं किया गया है तथा इसे दो माह के लिए लागू नहीं किया जायेगा। अतः जब तक जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 लागू नहीं होती है तब तक किये गये भुगतान पर कोई कटौती नहीं की जानी है।

प्रश्न 9 – जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 के लागू न होने पर क्या पुराने मामलों के भुगतान में वैट प्रणाली के अनुसार कटौती कर, धनराशि राजकीय कोष में जमा करनी है।

उत्तर – इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 लागू होने से पूर्व अर्थात् माह जुलाई व अगस्त में प्रस्तुत बिलों पर कोई कटौती नहीं की जानी है तथा उनका नियमानुसार बिना कटौती के भुगतान किया जाना है।

प्रश्न 10 – धारा 51 के अन्तर्गत कटौती किये जाने हेतु जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत क्या पंजीयन भी लिया जाना है।

उत्तर – ऐसे सभी विभाग/आहरण वितरण अधिकारी जिनके द्वारा धारा 51(1) के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती की जानी है, के लिए जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 24(vi) के अन्तर्गत पंजीयन लिया जाना अनिवार्य है।

प्रश्न 11 – यह पंजीयन किस प्रकार लिया जाना है, इसके लिये कितनी फीस देय होगी तथा पंजीयन हेतु फॉर्म कहां जमा कराया जाना है।

उत्तर – जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती हेतु पंजीयन लेने के लिये जी0एस0टी0 पोर्टल पर फॉर्म जी0एस0टी0 आर0ई0जी0 07 में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी0एस0टी0 पोर्टल पर जो भी आवश्यकता है अर्थात् जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है वह स्कैनिंग द्वारा अपलोड किये जायेंगे। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से ऑनलाइन जमा कराना है। आवेदन देने के 03 कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से पंजीयन (जी0एस0टी0आइ0एन0) प्राप्त हो जायेगा यदि प्रार्थना पत्र में कोई कमी न पायी गयी हो व कमियों को सूचित न किया गया हो। इस हेतु न तो कोई फीस जमा की जानी है तथा न ही कोई मैनुअल फॉर्म जमा कराना है।

प्रश्न 12 – यह पंजीयन कब तक लिया जाना है।

उत्तर – किसी भी मामले में विभाग के स्रोत पर कटौती के दायी (Liable) होने के 30 दिन के भीतर पंजीयन अनिवार्य रूप से लिया जाना है। वर्तमान में पंजीयन हेतु जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर यह सुविधा 25 जुलाई, 2017 से उपलब्ध हो जायेगी।

प्रश्न 13 – यदि किसी विभाग/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पंजीयन नहीं लिया जाता है तो क्या कार्यवाही होगी।

उत्तर – यदि विभाग द्वारा कोई 2.50 लाख से ऊपर की संविदा का भुगतान किया जाता है एवं धारा 51(1) के अन्तर्गत कटौती की जाती है तो जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन लिया जाना अनिवार्य है। यदि बिना पंजीयन लिये भुगतान किया जाता है तो कटौती की गयी राशि राजकीय कोष में जमा नहीं करायी जा सकेगी। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी अर्थदण्ड के भागी होंगे।

प्रश्न 14 – यदि किसी भुगतान पर कटौती नहीं की जाती है तो क्या कार्यवाही होगी।

उत्तर – यदि किसी भुगतान पर कटौती नहीं की जाती है तो जी0एस0टी0 अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विभाग/आहरण वितरण अधिकारी से कटौती के बराबर या रू0 10,000 जो भी अधिक हो, धनराशि वसूली जा सकता है।

प्रश्न 15 – यदि 2.50 लाख से ऊपर की संविदा के सम्बन्ध में भुगतान अलग–अलग अर्थात् 2.50 लाख से कम की राशि में कई बार किया जाता है तो क्या उसमें भी कटौती की जायेगी।

उत्तर – यदि संविदा 2.50 लाख से अधिक की है तो चाहे भुगतान 2.50 लाख से कम की कई किश्तों में अलग–अलग किया गया हो तो भी कटौती किया जाना अनिवार्य है।

प्रश्न 16 – किन मामलों में कटौती को एस0जी0एस0टी0 व सी0जी0एस0टी0 के रूप में जमा करना है तथा किन मामलों में आई0जी0एस0टी0 के रूप में जमा करना है।

उत्तर – यदि किसी संविदाकार द्वारा पूर्ति प्रान्त अन्दर से की जाती है तो उस मामले में 1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 तथा 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 कटौती कर जमा किया जायेगा। किन्तु यदि पूर्ति प्रान्त बाहर से की जाती है तो ऐसी स्थिति में कटौती आई0जी0एस0टी0 के रूप में 2 प्रतिशत की जानी है किन्तु यदि पूर्तिकार

(Supplier) व पूर्ति का स्थान (Location) का राज्य, विभाग के पंजीयन वाले राज्य से भिन्न है, ऐसी स्थिति में कोई कटौती नहीं की जानी है।

प्रश्न 17 – क्या विभाग/आहरण वितरण अधिकारी को रिटर्न भी दाखिल करनी है।

उत्तर – जिन विभागों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा जिन माहों में टी0डी0एस0 कटौती की गयी है उस माह के अगले माह की 10 तारीख तक जी0एस0टी0आर0–7 में जी0एस0टी0 पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल की जानी है।

प्रश्न 18 – विभाग द्वारा किस धनराशि पर टी0डी0एस0 कटौती की जानी है।

उत्तर – कर की राशि को छोड़ते हुये शेष धनराशि पर टी0डी0एस0 की कटौती की जानी है।

प्रश्न 19 – क्या स्थानीय प्राधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

उत्तर – हां, स्थानीय प्राधिकारी में कौन–कौन शामिल होगा, उसे सी0जी0एस0टी0 और एस0जी0एस0टी0 की धारा 2 की उपधारा (69) में परिभाषित किया गया है।

प्रश्न 20 – क्या करमुक्त माल व सेवा की आपूर्ति करने पर स्रोत पर कटौती की जानी है।

उत्तर – नहीं, केवल कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने पर ही कटौती की जानी है।

प्रश्न 21– कृपया बतायें कि जी0एस0टी0 में पंजीयन हेतु, रिटर्न दाखिल करने हेतु या अन्य कार्य हेतु किस वेबसाइट पर कार्य किया जाना है।

उत्तर – **www.gst.gov.in**

प्रश्न 22 – क्या पंजीयन, रिटर्न स्वयं आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

उत्तर – स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो आयुक्त कर द्वारा विज्ञापित सेवा कर व्यवसायी (GST Practitioner) के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है।

प्रश्न 23 – क्या सेवा कर व्यवसायी को कोई भुगतान करना पडेगा। यदि हां तो कितना।

उत्तर – हां। भुगतान की राशि विभाग द्वारा निर्धारित नहीं है। आपसी सहमति पर निर्धारित करके कटौतीकर्ता द्वारा भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न 24 – माल व सेवा की आपूर्ति रू0 5,00,000 है तथा उस पर 18 प्रतिशत आई0जी0एस0टी0 रू0 90,000 प्रभारित है अर्थात् कुल इन्वाइस रू0 5,90,000 की है तो टी0डी0एस0 किस राशि पर कटेगा।

उत्तर – टी0डी0एस0 की राशि कर के अंश को छोड़ते हुये, रू0 5,00,000 पर 2 प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी।

प्रश्न 25 – पंजीयन लेने के उपरान्त क्या पंजीयन संशोधन किया जा सकता है।

उत्तर – हां। ऑनलाइन जी0एस0टी0 आर0ई0जी0 14 पर आवेदन, घटना घटित होने के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 26 – कटौती की गई टी0डी0एस0 की धनराशि को राजकोष में जमा किस प्रकार किया जायेगा।

उत्तर – कटौतीकर्ता आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती की धनराशि को इंटरनेंट बैकिंग, **NEFT, RTGS,** या अधिकृत बैंक शखाओं में **(Over the Counter (OTC) payment)** के माध्यम से राजकोष में जमा किया जायेगा। कटौती की धनराशि को जमा करने हेतु चालान जी0एस0टी0 के पोर्टल पर प्रपत्रः **GST PMT-06** में तैयार किया जायेगा, जिसमें **SGST, CGST,** व **IGST** की राशि अलग–अलग अंकित की जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे आ0वि0 अधिकारी जो देयकों के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही सीधे कोषागार के माध्यम से करते हैं, उनके द्वारा टी0डी0एस0 कटौती की धनराशि को सम्बन्धित सरकारों के पक्ष में जमा किये जाने हेतु जो व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है, उसके अनुसार– आहरण–वितरण अधिकारी टी0डी0एस0 कटौती किए जाने योग्य देयक में से कटौती की धनराशि को छोड़ शेष धनराशि का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता के खाते में करवायेंगे तथा टी0डी0एस0 की धनराशि को कोषागार से चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त चैक/ड्राफ्ट की धनराशि को निर्धारित समय सीमा के अन्दर टी0डी0एस0 के रूप में अधिकृत बैंक शाखा में ओवर द काउन्टर (OTC) विधि से जमा करवायेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सामान्यतः **OTC** विधि में एक चालान के माध्यम से अधिकतम रूपये दस हजार की धनराशि जमा की जा सकती है, किन्तु सरकारी विभागों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं है।

प्रश्न 27 – जी0एस0टी0 से सम्बन्धित अधिनियम, नियम व फॉर्म की जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है।

उत्तर – जी0एस0टी0 अधिनियम, नियम व फॉर्म की जानकारी उत्तराखण्ड वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट **www.comtax.uk.gov.in** पर प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसे सी0बी0ई0सी0 की वेबसाइट **www.cbec.gov.in** पर भी देखा जा सकता हे। चूंकि जी0एस0टी0 पूरे देश में एक समान रूप से लागू है। अतः अन्य राज्यों के वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।